

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2023

संख्या 04/2023-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 150(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होने पर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 674 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना की, अनुसूची में, क्रम संख्या 94 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित मद और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(iii) राब, प्री-पैकेज्ड और लेबल से भिन्न";

2. यह अधिसूचना 1 मार्च, 2023 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/21/2023-टीओ(टीआरयू-II)-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना संख्या 2/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 674(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 13/2022-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 30 दिसम्बर, 2022, जिसे सा.का.नि. 919(अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2023

No. 04/2023- Central Tax (Rate)

G.S.R. 150(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No.2/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 674(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Schedule, against S. No. 94, in Column (3), after the item (ii) and the entries relating thereto, the following item and entry shall be inserted, namely: -

“(iii) Rab, other than pre-packaged and labelled”.

2. This notification shall come into force on the 1st day of March, 2023.

[F. No. CBIC-190354/21/2023-TO(TRU-II)-CBEC]

RAJEEV RANJAN Under Secy.

Note: The principal notification No.2/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th day of June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 674(E), dated the 28th day of June, 2017 and was last amended by notification No. 13/2022 –Central Tax (Rate), dated the 30th December, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 919(E), dated the 30th December, 2022.